UPHM010016852026

न्यायालय Spl.Judge(D.A.A Act), Hamirpur

पीठासीन अधिकारी– (SRI RAJEEV KUMAR II), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP 6466**

<u>जमानत प्रार्थना पत्र सं०–793/2026</u>

बृजेन्द्र सिंह उर्फ रिन्टू सिंह पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम ह्रदयडेरा थाना नरवल जिला कानपुर नगर (उ०प्र०)।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य (उ०प्र०) द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) हमीरपुर (उ०प्र०)।

.....विरुद्ध पक्ष

मु०अ०सं०–47/2026
धारा–310(2),317(3),109,
324(4),3(5) बी०एन०एस०
थाना–ललपुरा, जिला– हमीरपुर।

<u>11.06.2026</u>

आवेदक/अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ रिन्टू सिंह पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 47/2026, धारा–310(2),317(3),109,324(4),3(5) बी०एन०एस० थाना–ललपुरा, जिला– हमीरपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र बल न देने के कारण दिनांक 06.06.2026 को खारिज किया जा चुका है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न ही लम्बित है और न ही खारिज हुआ है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि विजय नारायण सिंह पुत्र शिवकरन सिंह ग्राम पतारा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर का मूल निवासी है। वह ट्रक संख्या UP 91 T 6927 का पंजीकृत स्वामी है। दिनांक 18.05.2026 को समय सुबह लगभग 03.00 बजे उसके ट्रक ड्राइवर का फोन आया कि BPRN पम्प के पास ट्रक लेकर खडा था तभी उसे आहट हुई कि कोई उसके ट्रक से डीजल निकाल रहा है। उसने देखा कि स्कार्पियो नं0 UP 78 GH 2444 जिसमे लगभग पांच लोग सवार थे जो डीजल निकाल रहे थे। जब उसके

ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो उन्होने उसके ड्राइवर को तमंचा दिखाया ओर वह डर कर भाग गया और उसको फोन किया। तत्पश्चात वह अपने साथी रविराज सिंह पुत्र यशवन्त सिंह निवासी ग्राम कन्धौली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर एवं लाल सिंह पुत्र रामऔतार निवासी वैजेमऊ थाना सिसोलर के साथ अपनी गाडी हुण्डई औरा गाडी नं0 UP 91 Y 6406 के साथ लगभग 03.30 बजे पहुंचा और उन्हें आता देख वह लोग अपनी स्कार्पियों लेकर भागने लगे और कुण्डौरा मोड़ से ग्राम पौथिया की तरफ मुड़ गये। इसी बीच उन लोगों ने 112 नम्बर पर सूचना दे दी। उनका पीछा करते हुए जब वे ग्राम पौथिया के समीप पहुंचे तो उन लोगो ने गाड़ी से उतरकर उन पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की तथा उनकी गाडी के सीसे पर पत्थर मारा। पी0 आर 0 वी0 112 नम्बर की गाडी को वहां आता देखकर वह लोग गाड़ी छोड़कर भाग गये। फिर उनके द्वारा गाड़ी स्कार्पियों को थाने लाया गया, जिसमे उन्हें आठ डिब्बे डीजल के भरे हुए व कुछ डिब्बे खाली मिले तथा एक अवैध पिस्टल व चाकू व डण्डे मिले और उस गाडी को उन लोगों ने थाने लाकर खड़ा कर दिया। उनके समुचित प्रयास से उनकी डीजल लूटने की योजना विफल रही। उनके ऊपर जो फायरिंग हुई तथा उनके डीजल लूटने के प्रयास व गाड़ी की जो छति हुई है, उसके सम्बन्ध मे समुचित धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करें।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि प्रार्थी सर्वदा निर्दोष है। प्रार्थी पर लगाये गये आरोप सरासर झूठे व बेबुनियाद हैं। प्रार्थी ने उक्त धाराओं या प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित धाराओं अन्तर्गत या अन्यथा, किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है न ही प्रार्थी की गिरफ्तारी से पूर्व प्रार्थी को दर्शित घटना के बारे में कोई जानकारी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी नामजद नहीं है, रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कराई गई है। दौरान विवेचना पुलिस द्वारा मात्र कारगुजारी दिखाने के मकसद से प्रार्थी का नाम प्रकाश में लाया गया है, जो सरासर गलत है एवं प्रार्थी उसका पुरजोर विरोध करता है। कथित घटना व प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित वाहन स्कॉर्पियों नं० UP 78 GH 2444, प्रार्थी की नहीं है, न ही उक्त वाहन से प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार है, न ही घटना के वक्त प्रार्थी उक्त वाहन में सवार था और न ही मौका–ए–वारदात पर मौजूद था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गाड़ी स्कॉर्पियो स्वयं वादी मुकदमा द्वारा थाने लाया गया जाना बताया गया है, जबकि मौके पर पी०वी०आर० 112 मौजूद थी, जिससे कथित संपूर्ण बरामदगी संदिग्ध व संदेह के दायरे में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथानक एवं दर्शित घटना में उल्लिखित डीजल डिब्बे, अवैध पिस्टल, चाकू व डण्डे, प्रार्थी से बरामद नहीं हैं। दर्शित घटना से सम्बन्धित कोई भी वस्तु या सम्पत्ति, प्रार्थी ने अभिप्राप्त नहीं की है, न ही प्रार्थी के कब्जे में है और न ही प्रार्थी से बरामद है। वादी मुकदमा के ट्रक से डीजल निकालने संबंधी

कोई उपकरण व औजार की कोई बरामदगी दर्शित नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में गाड़ी का पीछा करते वक्त वादी मुकदमा व उसके साथियों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की बात कही गई किन्तु फायरिंग संबंधी खाली खोखे की कोई बरामदगी नहीं है, न ही फायरिंग से किसी के हताहत होने या गाड़ियों के क्षतिग्रस्त होने की कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे संपूर्ण घटना व कथानक स्वमेव संदिग्ध व अविश्वसनीय है, इसीलिये जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने संबंधी प्रथमदृष्टया मामला ही नहीं बनता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कथित घटना रात्रि की होना और पुलिस को आता देख उल्लिखित अज्ञातों के गाड़ी छोड़कर भाग जाना बताया गया है, जिसमें डकैती का मामला बनाने मात्र की बदनीयत से जानबूझकर साजिशन संख्या का जिक्र किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से योजनाबद्ध तरीके से दर्शित घटना से 18 घंटे बाद दर्ज कराई गई है। विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी वादी मुकदमा व उसके सहयोगियों रविराज सिंह व लालसिंह व इनके सरपरस्तों की विपरीत विचारधारा का व्यक्ति है, जिस कारण मात्र सबक सिखाने की गरज से प्रार्थी के विरोधियों से मिलकर स्थानीय पुलिस से सांठगांठ व तालमेल करके प्रार्थी को झूठा फंसाया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी के विरुद्ध मामला नहीं बनता है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 20.05.2026 से जिला कारागार हमीरपुर में निरुद्ध है। जीपिकोपार्जन हेतु प्रार्थी का परिवार पूर्णतः प्रार्थी पर निर्भर है। प्रार्थी के जेल में रहने से उसके परिवार की दशा खराब है, प्रार्थी को जेल में रहने से हकतल्फी है। मामले की परिस्थितियां व तथ्य जमानत योग्य हैं। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के वाहन ट्रक नंबर UP 91 T 6927 से अपने वाहन स्कार्पियो नं0 UP 78 GH 2444 में डीजल की लूट की गई है तथा लूट का डीजल मय वाहन स्कार्पियो के मौके पर बरामद किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके साथियों पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया है तथा पुलिस के आने पर अभियुक्तगण भाग गए। उक्त कथनों के साथ अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन व परिशीलन किया।

प्रश्नगत मामले में अभियुक्त पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के ट्रक नंबर UP 91 T 6927 से अपने वाहन स्कार्पियो नं0 UP 78 GH 2444 में डीजल चोरी किये जाते समय ट्रक ड्राइवर द्वारा विरोध किया गया तो उसे तमंचा दिखाकर धमकाया गया, जिस पर ट्रक ड्राइवर ने अपने मालिक वादी

मुकदमा को फोन से सूचित किया। सूचना पर वादी मुकदमा अपने साथियों के साथ मौके पर पहुँचा तो उनके ऊपर जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया गया तथा मौके पर वाहन स्कार्पियो नं0 UP 78 GH 2444 व एक पिस्टल 32 बोर, 6 अदद जिन्दा कारतूस, एक अदद चाकू, 2 अदद लकड़ी का डण्डा, 10 प्लास्टिक डिब्बा नीला रंग जिसमें 8 डिब्बा डीजल से भरा व 2 डिब्बा खाली बरामद किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अपराध की गंभीरता व मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाया जाता है। तदनुसार द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त बृजेन्द्र सिंह उर्फ रिन्टू सिंह पुत्र स्व० महेन्द्र प्रताप सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं० 47/2026, धारा–310(2),317(3),109,324(4),3(5) बी०एन०एस० थाना–ललपुरा, जिला– हमीरपुर के मामले में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक 11.06.2026

(राजीव कुमार–II)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.), हमीरपुर।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 6466

Digitally signed by RAJEEV KUMAR
Date: 2026.06.12 13:11:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court